

~~05.09.2024~~ फुल्ल अहकाम
(नियम 15)

2024/326

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
महेन्द्र बनाम महासिंह आदि
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) जाब्ता दिवानी प्रकरण संख्या 35 वर्ष 2024

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये

07.06.2024 केवियट कर्ता महेन्द्र ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र 148ए सी.पी.सी. पेश किया। वकील केवियटकर्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के संबंध में कोई वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो स्थगन/आदेश जारी करने से पूर्व मुझ केवियट कर्ता को कानूनी रूप से सूचित किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। केवियट से संबंधित वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर संबंधित शाखा प्रभारी मूल वाद/प्रार्थना पत्र के साथ केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। पत्रावली आईन्दा तारीख 05.09.2024 को पेश हो।

वकील केवियटकर्ता
शरित
का पेश हो

05.9.2024 पत्रावली पेश हुई। केवियट प्रार्थना पत्र के 90 दिवस पूर्ण हो चुके हैं। इस लिए केवियट प्रार्थना- का खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से काम की जाकर दखिलदफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

